प्रेस नोट दिनाँक 25.06.2025

थाना अलीनगर चन्दौली

◆थाना अलीनगर व आरपीएफ चन्दौली की संयुक्त कार्यवाही के दौरान 01 शराब तस्कर गिरफ्तार

◆ विभिन्न ब्रांड व माप के टेट्रा पैक व बोतलों में कुल 610.56 लीटर अवैध अंग्रेजी व देशी शराब (अनुमानित कीमत-09 लाख रूपये) बरामद

आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभारी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर (IPS) व राजीव सिसौदिया, क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के पर्यवेक्षण में अलीनगर पुलिस टीम व आरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही के दौरान मालवाहक ट्रेन में लादकर अवैध शराब की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 610.56 लीटर अवैध अंग्रेजी व देशी शराब बरामद की गई है जिसकी अनुमानित कीमत 09 लाख रूपये है।

दिनांक 25/06/2025 को थाना अलीनगर के चौकी प्रभारी लौंदा अनन्त कुमार भार्गव मय को आरपीएफ पोस्ट मानसनगर के उ0नि0 इन्द कुमार द्वारा सूचना दिया गया कि कुछ शराब तस्कर जो मुगलसराय स्टेशन से बिहार जाने वाली ट्रेन में स्टेशन के आउटर जहां ट्रेन रुकती है वहीं चेन पुलिंग करके शराब लादकर बिहार ले जाते हैं। आज ये लोग न्यू गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में शराब लादकर चढ़ायेंगे।

इस सूचना पर चौकी प्रभारी लौदा थाना अलीनगर द्वारा थानाप्रभारी अलीनगर को सूचित कर उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौकी प्रभारी आलू मिल, उ0नि0 इन्द कुमार आरपीएफ पोस्ट मानसनगर, उ०नि० राजेश कुमार चन्द, उ0नि0 सन्दीप कुमार सिंह सीआईबी डीडीयू, सहायक उ0नि0 सतीश कुमार सिंह सीआईबी डीडीयू के साथ मुगलसराय की तरफ से न्यू गंज ख्वाजा स्टेशन की ओर आ रही मालवाहक ट्रेन के आउटर पर धीरे होने पर 01 व्यक्ति द्वारा पटरी के किनारे रखे बोरे को उठाकर ट्रेन में लादने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जिसकी पहचान प्रमोद चौधरी पुत्र श्रीपति चौधरी निवासी ग्राम खेमदा बारुण थाना बारुण जनपद औरंगाबाद बिहार तथा उम्र करीब 40 के रूप में हुयी। अभियुक्त के कब्जे से ट्रेन में चढ़ाकर रखे बोरों व रेलवे की पटरी के किनारे रखे बोरों कुल संख्या 17 पायी गयी। 16 बोरों में कुल 04-04 पेटी देशी शराब (प्रत्येक पेटी में 45 टेट्रा पैक प्रत्येक पाउच में 200 ML) कुल 576 लीटर देशी शराब तथा 01 बोरे में 4 पेटी (प्रत्येक में 48 पाउच प्रत्येक पाउच में 180 ML), 8 पीएम कुल 34.56 लीटर अंग्रेजी शराब सभी मिलाकर 610.56 लीटर देशी व अंग्रेजी शराब, 01 मोबाइल व 235 रुपये बरामद हुए।

पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मालवाहक गाड़ी में शराब लादकर बिहार ले जाने वाला था। इसके पूर्व दिनांक 09.06.2025 को मैं यहीं के एक मजदूर की सहायता से 03 बोरे व 01 पिट्ठू बैग में शराब लेकर ट्रेन में लाद रहा था इसी दौरान पुलिस के आ जाने पर हम दोनों सब छोड़कर भाग गये थे,उस दिन भी मेरा पूरा शराब पकड़ लिया गया था।

पंजीकृत अभियोग

मुं.अ.सं 247/25 धारा 60/63 आबकारी अधिकारी थाना अलीनगर चन्दौली।

आपराधिक इतिहास

मुं.अ.सं 203/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त

1.प्रमोद चौधरी पुत्र श्रीपति चौधरी निवासी ग्राम खेमदा बारुण थाना बारुण जनपद औरंगाबाद बिहार तथा उम्र करीब 40

बरामदगी

कुल 17 बोरों में:-

04-04 पेटी देशी शराब (प्रत्येक पेटी में 45 टेट्रा पैक प्रत्येक पाउच में 200 ml) कुल 576 लीटर देशी शराब

01 बोरे में 4 पेटी (प्रत्येक में 48 पाउच प्रत्येक पाउच में 180 ml),

8 पीएम कुल 34.56 लीटर अंग्रेजी

कुल 610.56 लीटर देशी व अंग्रेजी शराब, 01 मोबाइल व 235 रुपये

पुलिस टीम

चौकी प्रभारी लौदा अलीनगर अनन्त कुमार भार्गव

चौकी प्रभारी आलू मिल अनिल कुमार यादव

आरक्षी चन्दन कुमार

मुख्य आरक्षी रोशन यादव

आरक्षी दीपक साहू

आरक्षी चन्द्रदेव

आरपीएफ उपनिरीक्षक इन्द्र कुमार

उपनिरीक्षक राजेश कुमार चन्द

उपनिरीक्षक सन्दीप कुमार सिंह CIB DDU

सहायक उपनिरीक्षक सतीश कुमार सिंह CIB DDU

आरक्षी संजय पाण्डेय DFCC SECURITY

आरक्षी शुभेष राय CIB DDU